Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

जुलाई 2024
साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स
22/07/2024 से 28/07/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती का केंद्रीकरण	1 - 3
2.	कर्नाटक राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024	4 - 6
3.	अर्ध- वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट जारी	6 - 8
4.	निपाह वायरस संक्रमण (NiV)	9 - 11
5.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन	12 -15
6.	आधुनिक भारतीय इतिहास में बाल गंगाधर तिलक के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता	15 - 18

करंट अफेयर्स जुलाई 2024

भारत में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती का केंद्रीकरण

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था , शिक्षा , भर्ती का केंद्रीकरण , हिंदी में दक्षता की आवश्यकता, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे , सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) योजना, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय शिक्षा, स्थानीय भाषा और संस्कृति ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में भर्ती का केंद्रीकरण ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों?

- हाल ही में देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (Eklavya Model Residential Schools-EMRS) के लिए भर्ती प्रक्रिया का केंद्रीकरण किया गया है, जिसे भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2023 के बजट में पेश किया गया था।
- इस केंद्रीकरण में हिंदी दक्षता को अनिवार्य आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया है।
- भारत के केंद्रीय अधिकारी इस बात पर जोर दे रहें हैं कि आवेदकों को देश में कहीं भी नियुक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि, मुख्य चिंता यह है कि इससे उन आदिवासी छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिन्हें ऐसे शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो स्थानीय भाषा और संस्कृति से बिल्कुल ही अपरिचित हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय योजना (ईएमआरएस) :

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रबंधित भारत में मुफ्त आवासीय विद्यालयों की एक श्रृंखला है।
- इनकी स्थापना दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को कक्षा 6 से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
- ये विद्यालय छात्रों के अकादमिक और सामाजिक विकास के साथ-साथ खेल, कला, संस्कृति, और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।
- इन स्कूलों में छात्रों की अधिकतम क्षमता 480 छात्रों की होती है और यह नवोदय विद्यालयों के समकक्ष होते हैं।
- भारत में एकलव्य आदर्श आवासीय योजना भारत सरकार के केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित होती है और इन विद्यालयों का निर्माण संबंधित राज्यों के वैकल्पिक भवनों या सरकारी भवनों में भी किया जा सकता है।
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में आदिवासी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
- भारत में एकलव्य आदर्श आवासीय योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन्हें उच्च शिक्षा के अवसरों की ओर अग्रसर करने में मदद करता है।

एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों का वित्तपोषण :

- भारत में एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों को केंद्र सरकार द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित स्कूल परिसर की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत प्रदान की जाती है।
- इसके तहत भारत के मैदानी क्षेत्रों में यह लागत 37.80 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है, जबकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों , पहाड़ी क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में यह राशि 48 करोड़ रुपये तक है।
- एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के संचालन और छात्रों के ऊपर होने वाले व्यय राशि, जैसे यूनिफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी, भोजन आदि, के लिए प्रति वर्ष 1.09 लाख रुपये तक की आवर्ती लागत का भुगतान किया जाता है।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत के केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक सोसायटी (एनईएसटीएस) को धनराशि जारी की जाती है, जो आगे राज्य समितियों और निर्माण एजेंसियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार धनराशि वितरित करती है।

एकलव्य आदर्श आवासीय योजना में भर्ती से संबंधित हालिया मुद्दा :

हिंदी दक्षता की अनिवार्यता :

- हाल ही में एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए भर्ती प्रक्रिया के केंद्रीकरण में हिंदी दक्षता को अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया गया है।
- इसके परिणामस्वरूप, हिंदी भाषी राज्यों से बड़ी संख्या में भर्ती किए गए कर्मचारियों को दक्षिणी भारतीय राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (Eklavya Model Residential Schools- EMRS) में तैनात किया जा रहा है।
- फलतः हिन्दी भाषी राज्यों के कर्मचारी दक्षिणी भारतीय राज्यों की भाषा, भोजन और संस्कृति से अपरिचित हैं।
- इस भर्ती प्रक्रिया के केंद्रीकरण के संबंध में केंद्र सरकार का यह तर्क है कि बुनियादी हिंदी भाषा दक्षता की आवश्यकता असामान्य नहीं है, क्योंकि यह जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती के लिए भी अनिवार्य होता है।

आदिवासी छात्रों पर पड़ने वाला प्रभाव :

- भारत में संचालित एकलव्य विद्यालयों में अधिकांश आदिवासी विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से लाभान्वित होंगे जो उनके स्थानीय सांस्कृतिक पहचान , परंपरा और विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों को समझते हैं, क्योंकि इन समुदायों के पास अपना स्थानीय सांस्कृतिक पहचान , परंपरा और विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं जिनके तहत शिक्षण को अनुकूल बनाया जा सकता है।
- केंद्र सरकार के सरकारी अधिकारियों के अनुसार भर्ती किए गए शिक्षकों से दो वर्ष के भीतर स्थानीय भाषा सीखने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन भर्ती किए गए शिक्षकों में एक नई, पूर्ण रूप से अलग भाषा सीखने को लेकर अभी भी आशंकाएँ व्याप्त हैं।
- गैर-स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति से जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वे ऐसे शिक्षकों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ से परिचित नहीं हैं।

आगे की राह :

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL (EMRS)

स्थानीयकृत भर्ती प्रक्रिया को अपनाना :

- **स्थानीय प्राथमिकता को सुनिश्चित करना :** शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय समुदायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे छात्रों के सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भों से परिचित हों।
- **विविधता सुनिश्चित किया जाना :** स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों प्रकार के शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए ताकि स्थानीय परंपराओं का सम्मान करते हुए शिक्षण विधियों में विविधता लाई जा सके। स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों प्रकार के शिक्षकों की भर्ती से शिक्षण विधियों की विविधता को सुनिश्चित किया जा सकता है।

भाषा संबंधी अनुकूल की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करना :

- **हिंदी योग्यता का पुनर्मूल्यांकन करना :** गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में भर्ती में अनिवार्य हिंदी योग्यता की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करना अत्यंत जरूरी है।
- **भाषा सहायता कार्यक्रम :** शिक्षकों को उनके नियोजित क्षेत्रों की स्थानीय भाषाएँ सीखने के लिए भाषा सहायता कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण :

- **व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना :** सभी शिक्षकों, विशेष रूप से गैर-स्थानीय क्षेत्रों के शिक्षकों को व्यापक सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें उस समुदाय को समझने और उस समुदाय से घुलने – मिलने में मदद मिल सके जहाँ वे शिक्षक और कर्मचारी कार्यरत होंगें।
- **कार्यक्रमों का उन्नयन करना :** स्थानीय विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों और भाषा कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान में जारी पेशेवर विकास कार्यक्रमों का उन्नयन किया जाना चाहिए।

नीतियों की नियमित समीक्षा :

- **नियमित समीक्षा की आवश्यकता :** शिक्षकों और छात्रों दोनों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए भर्ती नीति की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए ताकि उनके बीच उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिए आवश्यक समायोजन और नीति – निर्माण किया जा सके।
- **विभिन्न राज्यों के विविध सांस्कृतिक और भाषाई परिदृश्यों के अनुकूल नीतियों का निर्माण करना :** एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के संदर्भ में नीतियों का निर्माण विभिन्न राज्यों के विविध सांस्कृतिक और भाषाई परिदृश्यों के अनुकूल होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत में इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय है।
2. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के लिए शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।
3. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पूंजीगत लागत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
4. इन स्कूलों में छात्रों की अधिकतम क्षमता 480 छात्रों की होती है और यह नवोदय विद्यालयों के समकक्ष होते हैं।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 3 और 4

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1, 2 और 4

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि वर्तमान में इसकी भर्ती प्रक्रिया के केंद्रीकरण करने से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? (UPSC 2019 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

कर्नाटक राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान – ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संविधान संशोधन ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' स्थानीय लोगों के लिए कोटा, संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग , स्थानीय भाषा और संस्कृति ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' कर्नाटक राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024 ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों?

- हाल ही में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत कर्नाटक राज्य में स्थित उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधन के पदों पर 50% और गैर-प्रबंधन से संबंधित पदों पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना अनिवार्य होगा।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है, जिसके कारण उद्योग निकाय द्वारा इस स्थानीय नीति का विरोध किया जा रहा है।

भारतीय संविधान के अनुसार नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण: संवैधानिक या असंवैधानिक?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रावधान :

- यह भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

संभावित उल्लंघन :

- स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण गैर-स्थानीय लोगों के लिए असमान अवसर पैदा कर सकता है, जो भारतीय संविधान के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्रावधान :

- इस अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान भारत में किसी भी नागरिक को उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

संभावित उल्लंघन :

- जन्म स्थान या निवास स्थिति के आधार पर स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करना गैर-स्थानीय लोगों के विरुद्ध भेदभाव हो सकता है।

अनुच्छेद 16 के तहत प्रावधान :

- भारत का संविधान किसी भी राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करता है।

संभावित उल्लंघन :

- यद्यपि यह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से इस प्रावधान को निजी रोजगार तक विस्तारित नहीं करता है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए अनिवार्य कोटा संभवतः असंवैधानिक हो जाता है।

अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधान :

- इस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

भारतीय नागरिकों का किसी भी राज्य में आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का हनन होने की संभावना :

- स्थानीय आरक्षण लागू करने से रोजगार के अवसर तलाशने वाले अन्य राज्य के लोगों / नागरिकों की भारत के विभिन्न राज्यों के बीच मुक्त आवाजाही प्रतिबंधित हो सकती है, जिससे उनके आवागमन और निवास की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है।

सरोजिनी महिषी की रिपोर्ट :

- कर्नाटक की पहली महिला सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सरोजिनी महिषी द्वारा 1984 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में 58 सिफारिशें शामिल थीं।
- इस रिपोर्ट में कर्नाटक राज्य में अवस्थित केंद्र सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में ग्रुप C और D की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण की सिफारिश की गई थी।

कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक के विवादास्पद होने का मुख्य कारण :

कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक के विवादास्पद होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं –

- **स्थानीय आरक्षण की आवश्यकता :** प्रस्तावित विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि उद्योगों में 50% प्रबंधन और 70% गैर-प्रबंधन पद स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए जाएं। इस प्रावधान को व्यापारिक समुदायों द्वारा प्रतिबंधात्मक माना गया है।
- **कानूनी चुनौतियाँ :** हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में इसी तरह के कानूनों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम, 2020 को रद्द कर दिया था, जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के निवासियों के लिए 75% आरक्षण अनिवार्य था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के कानून की समानता (अनुच्छेद 14) और स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था।
- **उद्योग जगत के प्रमुखों और व्यापारिक निकायों का विरोध :** उद्योग जगत के प्रमुखों और व्यापारिक निकायों के भारी विरोध के बाद विधेयक को "अस्थायी रूप से रोक दिया गया," जो व्यापारिक समुदाय की प्रबल आपत्ति को दर्शाता है।
- **वर्तमान स्थिति :** आंध्र प्रदेश का ऐसा ही कानून अभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जबकि झारखंड का कानून अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ऐसी आरक्षण नीतियों के साथ विवाद और कानूनी जटिलताएं जारी रहेंगी।

समाधान / आगे की राह :

- कर्नाटक सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने का निर्णय स्थानीय रोजगार की समस्याओं को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है।
- इसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिभा को सशक्त बनाना और क्षेत्रीय रोजगार को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके साथ ही इसके व्यवसाय संचालन और कानूनी ढांचे पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंता भी जताई जा रही है।
- इस पहल की सफलता उसके प्रभावी कार्यान्वयन, निगरानी, और स्थानीय नौकरी चाहने वालों एवं औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करेगी। **जो निम्नलिखित समाधानात्मक उपायों पर निर्भर करता है –**
  - **श्रम अधिकारों का पालन सुनिश्चित करना :** भारतीय संविधान के अनुसार यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी श्रमिकों, विशेषकर प्रवासियो, को निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाए तथा वे किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षित रहें।
  - **शोषणकारी प्रथाओं पर निगरानी रखना :** रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं को प्रवासी श्रमिकों को बिना किसी लाभ के कम वेतन पर अधिक समय तक काम करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए।
  - **समान अवसर प्रदान करने को सुनिश्चित करना :** स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना जरूरी है, जो अनुचित श्रम प्रथाओं को रोकने पर आधारित हो।
  - **विकासात्मक नीतियों को प्राथमिकता दिया जाना और संरक्षणवाद से बचाव करना :** स्थानीय श्रमिकों के लिए नौकरी में संरक्षणवाद एक दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता; इसके बजाय, विकासात्मक नीतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - **कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना :** संविधान के अनुच्छेद 16(3) जैसे प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए, जो निवास के आधार पर आरक्षण को सार्वजनिक रोजगार तक सीमित करता है और इसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- इस प्रकार, आरक्षण की इस नई नीति का प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि यह स्थानीय रोजगार के उद्देश्यों को पूरा करते हुए कानूनी और व्यावसायिक प्रभावों को संतुलित कर सके।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. कर्नाटक राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह विधेयक भारतीय संविधान के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

2. इससे नागरिकों के किसी भी राज्य या क्षेत्र में आवागमन और निवास करने की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है।

3. यह विधेयक नागरिकों के कानून की समानता (अनुच्छेद 14) और स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

4. जन्म स्थान या निवास स्थिति के आधार पर स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करना गैर-स्थानीय लोगों के विरुद्ध भेदभाव करना है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा स्थामीय निवासियों को रोजगार देने में आरक्षण देने का मुख्य कारण विवादस्पद क्यों होता है ? इस विवाद के समाधान के उपायों की चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

अर्ध- वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट जारी

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' स्वास्थ्य , पर्यावरण प्रदूषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और जागरूकता कार्यक्रम ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) , लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' अर्ध-वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट जारी ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) ने भारत में जनवरी से जून 2024 तक की अवधि के लिए अर्ध-वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है, जो देश के विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण के व्यापक स्तर का अवलोकन प्रदान करता है।
- यह रिपोर्ट भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण की गंभीरता और वितरण पर प्रकाश डालती है और इस पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए कड़े उपायों के महत्त्व को रेखांकित करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य तथ्य :

भारत में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) द्वारा जारी वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नलिखित है –

भारत का सबसे प्रदूषित शहर : भारत का सबसे प्रदूषित शहर असम-मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट है, जिसमें PM 2.5 की औसत सांद्रता 140 $\mu g/m^3$ (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) है।

भारत के विभिन्न राज्यों में शीर्ष स्तर पर 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची :

हरियाणा: 3 शहर

राजस्थान: 2 शहर

उत्तर प्रदेश: 2 शहर

दिल्ली: 1 शहर

असम: 1 शहर

बिहार: 1 शहर

- **दिल्ली का प्रदूषण स्तर :** इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को तीसरे सबसे प्रदूषित शहर (जहाँ PM2.5 का स्तर 102 $\mu g/m^3$ है) के रूप में शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशा-निर्देशों से भी बहुतअधिक है।
- **भारत के 256 शहरों का विश्लेषण :** 163 शहरों में राष्ट्रीय

परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के वार्षिक स्तर (40 $\mu g/m^3$) से अधिक प्रदूषण पाया गया। सभी शहरों में प्रदूषण का स्तर WHO द्वारा निर्धारित वार्षिक सांद्रता मानक (5 $\mu g/m^3$) से अधिक था।

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) :** इस रिपोर्ट में शामिल 97 शहरों में से 63 शहरों में प्रदूषण की सांद्रता NAAQS से अधिक थी। 163 प्रदूषित शहरों में से केवल 63 ही NCAP का हिस्सा हैं, जिससे 100 शहरों में वायु प्रदूषण कम करने की कोई कार्य – योजना नहीं है।
- **वायु प्रदूषण की व्यापकता और भयावहता :** शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं, जो भारत में वायु प्रदूषण की व्यापकता को दर्शाते हैं।
- **सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) :** छह नए सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को शामिल करने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 545 हो गई है।
- **श्रेणी के अनुसार शहरों का वितरण :** कर्नाटक और महाराष्ट्र में "अच्छा" और "संतोषजनक" श्रेणियों के तहत सबसे अधिक शहर हैं, जबकि बिहार में "मध्यम" श्रेणी के तहत सबसे अधिक शहर हैं।

इस रिपोर्ट के निहितार्थ :

इस रिपोर्ट के प्रमुख निहितार्थ निम्नलिखित हैं –

- **बर्नीहाट और दिल्ली में PM 2.5 का उच्च स्तर :** यह स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **हरियाणा और राजस्थान में प्रदूषण की व्यापकता :** यह वायु गुणवत्ता के मुद्दों से निपटने के लिए समन्वित क्षेत्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है।
- **NCAP के अंतर्गत नहीं आने वाले 100 शहर :** राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक प्रदूषण वाले 100 शहरों का NCAP में शामिल न होना भारत के वायु गुणवत्ता प्रबंधन ढाँचे में एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर करता है। इन शहरों को NCAP में शामिल करना वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **PM2.5 के उच्च स्तरों का स्वास्थ्य पर प्रभाव :** लगातार PM2.5 के उच्च स्तरों के संपर्क में रहने से श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य परिणाम होते हैं। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष सार्वजनिक लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
- **CAAQMS में वृद्धि :** यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन डेटा अंतराल और गैर-संचालन स्टेशनों की मौजूदगी बेहतर निगरानी बुनियादी ढाँचे और रखरखाव की आवश्यकता को दर्शाती है।

रिपोर्ट में सुझाए गए नीतिगत सिफारिशें :

- **उत्सर्जन मानकों को मज़बूत करना :** वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कठोर मानकों का प्रवर्तन आवश्यक है। इससे वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सकती है।
- **हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना :** स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ाना चाहिए, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके।
- **सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना :** इसके तहत सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि निजी वाहनों की संख्या कम हो और वायु प्रदूषण में कमी आ सके।
- **सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना :** भारत के विभिन्न शहरों में स्थायी वायु गुणवत्ता सुधार के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जागरूकता अभियान और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से लोग प्रदूषण को कम करने में योगदान कर सकते हैं।
- **पर्यावरण कानूनों का कठोर प्रवर्तन :** भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित कानूनों और नियमों का कठोरता से पालन करवाना आवश्यक है। इसके लिए निगरानी और दंड प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कदम :

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) :** यह एक व्यापक कार्यक्रम है जो भारत के शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- **भारत स्टेज उत्सर्जन मानक :** ये मानक वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। वर्तमान में, भारत स्टेज VI मानक लागू किए गए हैं जो प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 :** भारत में यह नियम ठोस अपशिष्ट के प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए बनाए गए हैं, जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं।
- **वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (सफर) पोर्टल :** यह पोर्टल वायु गुणवत्ता और मौसम की जानकारी प्रदान करता है, जिससे नागरिकों को वायु प्रदूषण के स्तर के बारे में जानकारी मिलती है और वे आवश्यक एहतियात बरत सकते हैं।
- **वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) :** यह सूचकांक वायु की गुणवत्ता के स्तर को सरल और समझने में आसान रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।
- **ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) :** यह योजना वायु प्रदूषण के स्तर के आधार पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के लिए बनाई गई है, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लागू होती है।
- **राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) :** इस कार्यक्रम के तहत, देशभर में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है और डेटा एकत्र किया जाता है, जो नीतियों और योजनाओं को बनाने में सहायक होता है।
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग :** भारत में यह आयोग दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और इसके तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए जाते हैं।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के मान की गणना किस वायुमंडलीय गैसों के आधार पर किया जाता है? (UPSC 2018)

1. कार्बन मोनोऑक्साइड ।
2. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ।
3. सल्फर डाइऑक्साइड ।
4. कार्बन डाइऑक्साइड ।
5. मीथेन ।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ?

A. केवल 1 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1, 4 और 5

D. 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए संशोधित मानक क्या हैं ? क्या आपको लगता है कि इससे भारत के शहरों में दीर्घकालिक वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी? (UPSC 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

निपाह वायरस संक्रमण (NiV)

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य , विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' निपाह वायरस संक्रमण, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, जूनोटिक वायरस, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस, एन्सेफेलाइटिक सिंड्रोम ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आई-एएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' निपाह वायरस संक्रमण ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

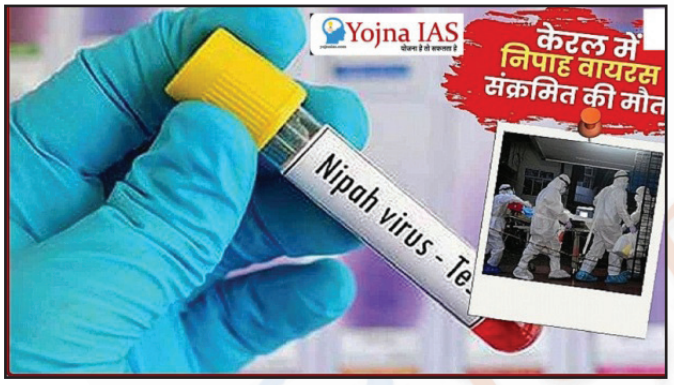

- हाल ही में, केरल के एक 14 वर्षीय लड़के की निपाह वायरस (Nipah Virus) से संक्रमित होने के बाद दुखद मृत्यु हो गई है।
- निपाह वायरस संक्रमण के मामलों की गंभीरता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि इस वायरस के कारण होने वाली मृत्यु दर बहुत अधिक होती है और यह वायरस न्यूरोलॉजिकल और श्वसन संबंधी जटिलताओं का कारण बन सकता है।
- केरल में इस हालिया मामले ने स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और प्रभावित क्षेत्रों में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तत्काल उपाय किए जा रहे हैं।
- निपाह को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने प्रभावित लोगों की पहचान करने के लिए 25 समितियों की स्थापना के आदेश जारी किए हैं।
- इस चरण में निपाह के एक सकारात्मक मामले की जांच की गई है और उसके साथ संपर्क में आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है।
- इस लड़के के प्राथमिक संपर्क सूची में 214 लोग हैं, जिनमें से 60 लोग उच्च जोखिम वर्ग में हैं।

निपाह वायरस :

- निपाह वायरस (Nipah Virus) एक जूनोटिक वायरस है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है।
- यह वायरस अस्पताली श्वसन बीमारी (acute respiratory illness) और घातक इंसेफेलाइटिस (fatal encephalitis) का कारण बन सकता है, जिसके चलते मौत हो सकती है।
- यह वायरस सूअर जैसे जानवरों में भी गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को काफी आर्थिक नुकसान होता है।
- निपाह वायरस की पहचान सबसे पहली बार 1998 और 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सुअर पालने वालों में एक आउटब्रेक के दौरान की गई थी।
- निपाह वायरस पहली बार घरेलू सुअरों में देखा गया और यह कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों तथा भेड़ों सहित घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में पाया गया।

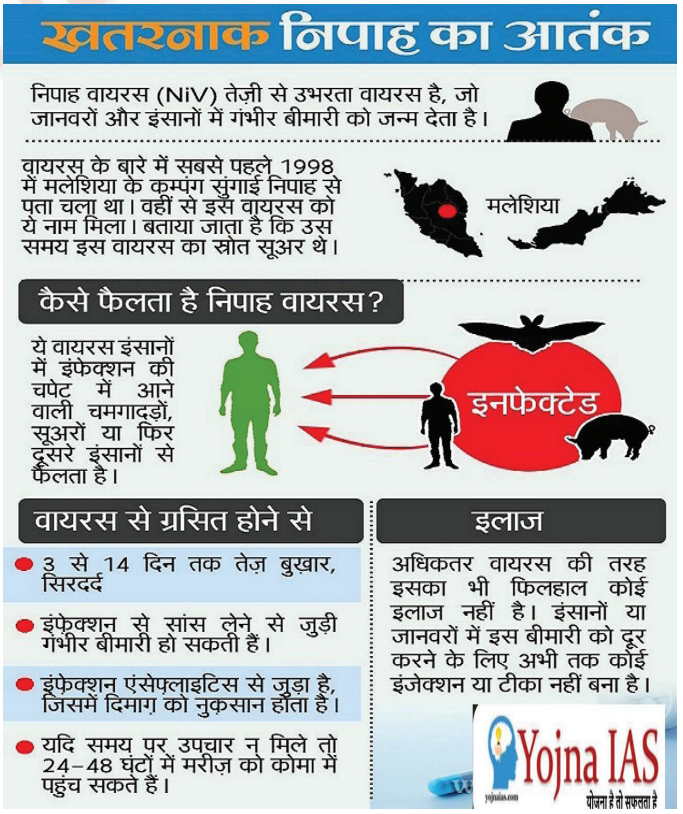

एंटीबॉडी :

- एंटीबॉडी जिसे इम्युनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) बाह्य पदार्थ की उपस्थिति की प्रतिक्रिया में

उत्पन्न करती है। ये बाह्य पदार्थ, जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं और इनमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विषाणु, फफूंद, परजीवी और विषाक्त पदार्थ शामिल होते हैं।

- एंटीजन की पहचान होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। एंटीबॉडी विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो एंटीजन से बंधकर उसे निष्क्रिय या नष्ट करने का कार्य करते हैं।

एंटीबॉडी के प्रकार :

प्रत्येक एंटीबॉडी विशिष्ट एंटीजन को पहचानने और उस पर प्रतिक्रिया करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। एंटीबॉडी के पांच प्रमुख प्रकार होते हैं: IgA, IgD, IgE, IgG, और IgM, जो शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को संचालित करते हैं। जो निम्नलिखित है –

- **आईजीजी (IgG) :** IgG रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। इसका कार्य मुख्य रूप से बैक्टीरिया, विषाक्त पदार्थों और वायरस को बाँधकर उन्हें निष्क्रिय करना होता है। यह जैविक रक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से संक्रमणों के खिलाफ दीर्घकालिक प्रतिरक्षा में। IgG का सबसे खास गुण यह है कि यह केवल एकमात्र आइसोटाइप है जो प्लेसेंटा से गुजर सकती है। इसलिए, गर्भवती महिला से नवजात शिशु को IgG का स्थानांतरण होता है, जो शिशु को जन्म के बाद पहले कुछ महीनों के लिए संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है।

- **आईजीएम (IgM) :** IgM बुनियादी Y-आकार की संरचनाओं के पांच इकाइयों से निर्मित होती है और यह मुख्य रूप से रक्त में वितरित होती है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की पहली प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब शरीर में कोई रोगजनक (जैसे बैक्टीरिया या वायरस) प्रवेश करता है, तो सबसे पहले IgM का निर्माण होता है। यह प्रारंभिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का हिस्सा है और संक्रमण के प्रारंभिक चरण में शरीर को बचाने में मदद करती है। IgM का निर्माण B कोशिकाओं द्वारा होता है, जो बी-लिम्फोसाइट्स के रूप में जानी जाती हैं और जो संक्रमणों से रक्षा में महत्वपूर्ण होती हैं।

- **आईजीए (IgA) :** IgA रक्त में मुख्य रूप से मोनोमर्स (एकल Y का आकार) के रूप में पाई जाती है, लेकिन यह श्लेष्मा झिल्ली पर एक अलग संरचना में भी मौजूद होती है, जिसे डिमर (2 Ys का संयोजन) कहा जाता है। यह आंत्र द्रव, नाक से स्राव, लार और स्तन के दूध में पाई जाती है। IgA का मुख्य कार्य श्लेष्मा झिल्ली की सतह पर बैक्टीरिया और वायरस के आक्रमण को रोकना है। यह नवजात शिशुओं के जठरांत्र संबंधी मार्ग को संक्रमणों से सुरक्षित रखने में सहायक होती है, क्योंकि यह स्तन के दूध के माध्यम से शिशु को मिलती है।

- **आईजीडी (IgD) :** IgD की उपस्थिति मुख्य रूप से B कोशिकाओं की सतह पर होती है। इसका प्रमुख कार्य B कोशिकाओं को सक्रिय करना और एंटीबॉडी उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू करना है। IgD श्वसन पथ में संक्रमण की रोकथाम में भी भूमिका निभाती है, लेकिन इसकी भूमिका अन्य आइसोटाइप्स की तुलना में कम स्पष्ट है और यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के विशेष पहलुओं से संबंधित होती है।

- **आईजीई (IgE) :** IgE का मुख्य कार्य परजीवियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में होता है। यह मस्तूल कोशिकाओं (Mast Cells) और बासोफिल्स (Basophils) के साथ मिलकर काम करती है। IgE को एलर्जी प्रतिक्रियाओं, जैसे परागण और अन्य एलर्जी से संबंधित प्रतिक्रियाओं के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। जब IgE एलर्जी का कारण बनने वाले पदार्थ (एलर्जेन) से संपर्क करती है, तो यह मस्तूल कोशिकाओं से हिस्टामिन जैसे रसायनों को छोड़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे एलर्जी के लक्षण उत्पन्न होते हैं।

एंटीबॉडी के कार्य :

न्यूट्रलाइजेशन (Neutralization) : एंटीबॉडी एंटीजन, जैसे कि विषाणु या विष, को निष्क्रिय कर देते हैं ताकि वे शरीर के ऊतकों को नुकसान न पहुंचा सकें।

ऑप्सोनाइजेशन (Opsonization) : एंटीबॉडी एंटीजन को चिह्नित करते हैं ताकि प्रतिरक्षा कोशिकाएं (जैसे मैक्रोफेज) उन्हें आसानी से पहचान सकें और उन्हें नष्ट कर सकें।

कॉम्प्लीमेंट सिस्टम (Complement System) का सक्रियण : एंटीबॉडी एंटीजन के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को सक्रिय करते हैं, जो एंटीजन को नष्ट करने में मदद करता है।

एग्लूटिनेशन (Agglutination) : एंटीबॉडी एंटीजन को समूहों में बाँधते हैं, जिससे वे प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा आसानी से फगोसाइटोसिस (phagocytosis) के माध्यम से नष्ट हो सकें।

- एंटीबॉडी का मुख्य उद्देश्य शरीर को बाहरी हानिकारक पदार्थों से सुरक्षित रखना है। वे प्रतिरक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण घटक हैं जो विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं।

निपाह वायरस की प्रकृति : 1

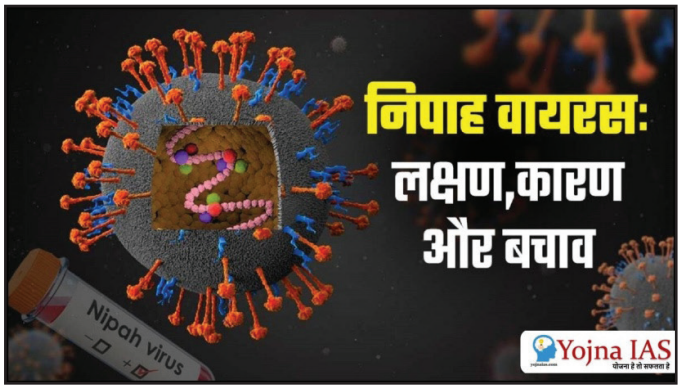

निपाह वायरस इंसेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव पैरामाइक्सोविरिडे श्रेणी तथा हेनिपावायरस जीनस/वंश का एक RNA अथवा राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है। यह वायरस हेंड्रा वायरस से निकटता से संबंधित है और प्राकृतिक रूप से चमगादड़ के साथ जुड़ा हुआ है।

- **संक्रमण :** निपाह वायरस का संचरण प्रारंभ में घरेलू सुअरों, कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों में होता है। यह रोग पटरोपस जीनस के 'फ्रूट बैट' या 'फ्लाइंग फॉक्स' के माध्यम से फैलता है, जो निपाह और हेंड्रा वायरस के प्राकृतिक स्रोत हैं। इस वायरस को चमगादड़ के मूत्र और संभावित रूप से मल, लार, और जन्म के समय तरल पदार्थों में भी पाया गया है।
- **मृत्यु दर :** निपाह वायरस संक्रमण में मृत्यु दर 40% से 75% तक हो सकती है।
- **लक्षण :** मानव संक्रमण में बुखार, सिरदर्द, उनींदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा और संभावित मृत्यु आदि एन्सेफेलाइटिक सिंड्रोम के रूप में प्रकट हो सकते हैं। इन लक्षणों में से कुछ लोगों में बुखार, सिरदर्द, मानसिक भ्रम, कोमा और संभावित मृत्यु की स्थिति तक पहुँच सकती है।

निपाह वायरस संक्रमण की स्थिति में रोकथाम की विधि :

- **टीका का अनुपलब्ध होना :** वर्तमान में मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए कोई निपाह वायरस का टीका उपलब्ध नहीं है। इसलिए, समुचित स्वास्थ्य संरक्षा उपायों का पालन करना महत्वपूर्ण है।
- **निपाह वायरस संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल सुनिश्चित करना :** संक्रमित व्यक्तियों को गहन चिकित्सा देखभाल देना चाहिए, जिसमें उच्च स्तरीय मास्क पहनना, समुचित उपचार, और संक्रमण के प्रसार को रोकने के उपाय शामिल हों।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सलाह :** WHO ने निपाह को प्राथमिकता वाली बीमारी के रूप में मान्यता दी है, और संभावित मामलों के लिए अच्छी तरह से तैयारी करने की सलाह दी है।

निपाह वायरस से निदान के तरीके : निपाह वायरस के निदान के लिए RT-PCR और ELISA जैसे शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से एंटीबॉडी की जांच की जा सकती है। यह वैज्ञानिक तरीका बीमारी की जांच और पहचान में मदद करते हैं। निपाह वायरस संक्रमण के खिलाफ यह सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? (UPSC – 2015)

A. एड्स (AIDS)

B. स्वाइन फ्लू

C. बर्ड फ्लू

D. डेंगू

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. "महामारी का हालिया प्रकोप भारत के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण चुनौती देता है।" इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि भारत के स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत 'सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन, मेरा गाँव मेरी धरोहर का महत्त्व, भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियाँ, केंद्र सरकार की योजना' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 'मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की योजना, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करेंट अफेयर्स' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (National Mission on Cultural Mapping- NMCM) की शुरुआत की है।
- इस मिशन का उद्देश्य भारत के 6.5 लाख गाँवों के सांस्कृतिक पहलुओं का मानचित्रण करके उनके विकास और पहचान में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका को बढ़ावा देना है।
- इसके तहत एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल (National Cultural Workplace- NCWP) के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप भी बनाए जायेंगे।
- इस मिशन के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी बसे हुए गाँवों को शामिल किया जाएगा और मानचित्रण प्रक्रिया के लिए बिहार के सभी गाँवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इस डेटाबेस को "मेरा गाँव मेरी धरोहर" वेब पोर्टल पर उपलब्ध किया जाएगा, जिसका उपयोग भारत के अन्य मंत्रालयों और संगठनों द्वारा स्थानीय संस्कृतियों, परंपराओं और कला रूपों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए किया जा सकेगा।

मेरा गाँव, मेरी धरोहर" (MGMD) कार्यक्रम :

- मेरा गाँव, मेरी धरोहर (MGMD) कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसे संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) द्वारा संचालित किया जाता है।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय गाँवों के जीवन, इतिहास और लोकाचार की विस्तृत जानकारी संकलित करना है।
- इसके तहत गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेज़ीकरण किया जाता है, जिसे आभासी व वास्तविक समय में आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराना है।
- मेरा गाँव, मेरी धरोहर (MGMD) कार्यक्रम के तहत एक वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो इस जानकारी को साझा करने का माध्यम है। **इस कार्यक्रम में सात प्रमुख श्रेणियों के तहत जानकारी एकत्र की जाती है –**

1. **कला और शिल्प गाँव :** इसमें गाँवों के स्थानीय कलाकारों और शिल्पकर्मियों की जानकारी शामिल होती है।
2. **पारिस्थितिकीय दृष्टि से उन्मुख गाँव :** यह गाँवों के पर्यावरण, जलवायु, और जलसंसाधन के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
3. **भारतीय पाठ्य और शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ा स्कोलास्टिक गाँव :** इसमें गाँवों के शैक्षिक और सांस्कृतिक परंपराओं की जानकारी शामिल होती है।
4. **रामायण, महाभारत और/या पौराणिक कथाओं से जुड़ा महाकाव्य गाँव :** इसमें गाँवों के पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों से संबंधित जानकारी शामिल होती है।
5. **स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा ऐतिहासिक गाँव :** इसमें गाँवों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी शामिल होती है।
6. **वास्तुकला विरासत गाँव :** भारत का वैसा गाँव जहाँ ऐतिहासिक या पारंपरिक वास्तुकला की धरोहर मौजूद है।
7. **विशेषता वाले गाँव :** जैसे मछली पकड़ने वाले गाँव,

बागवानी वाले गाँव, चरवाहा गाँव आदि।

- मेरा गाँव, मेरी धरोहर (MGMD) कार्यक्रम राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) का हिस्सा है, जिसे **'आज़ादी का अमृत महोत्सव'** के अवसर पर शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 6.5 लाख गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण किया जा रहा है, जिसमें से 2 लाख से अधिक गाँवों का मानचित्रण पूरा हो चुका है और इन्हें मिशन पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) :

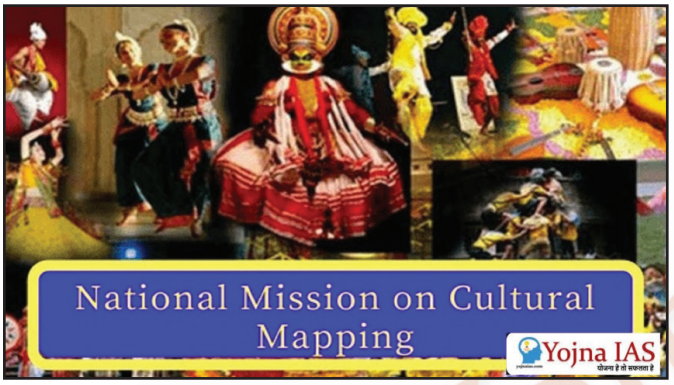

- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना है।
- यह मिशन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इसके रचनात्मक योगदान को पहचानने और दस्तावेज़ बनाने के लिए समर्पित है।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) के मुख्य कार्य :

NMCM के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं –

- **कलाकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों की राष्ट्रीय निर्देशिकाएँ बनाना :** यह पहल देशभर के कलाकारों, सांस्कृतिक विशेषज्ञों, और पारंपरिक कला-परंपराओं के प्रवर्तकों की एक विस्तृत राष्ट्रीय निर्देशिका तैयार करेगी। यह निर्देशिका सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और समूहों की जानकारी को संकलित करेगी।
- **राष्ट्रीय डिजिटल सूची/रजिस्टर का निर्माण करना :** कला अभिव्यक्तियों, कलाकार समुदायों और परंपरा के वाहकों की एक व्यापक राष्ट्रीय डिजिटल सूची या रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इस सूची के माध्यम से पारंपरिक कला रूपों और संस्कृति के जीवित परंपराओं को संरक्षित किया जाएगा।
- **संरक्षण नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं का विकास करना :** इसके तहत कला प्रथाओं के संरक्षण के लिए नीतियाँ तैयार की जाएंगी और इन कला प्रथाओं के अभ्यासकर्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

मिशन का मुख्य उद्देश्य :

- **राष्ट्रीय डेटाबेस का निर्माण करना :** विस्तृत थल सर्वेक्षणों और प्रलेखीकरण के माध्यम से सांस्कृतिक मानचित्रण कर एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस डेटाबेस में देश की सांस्कृतिक विविधताओं और परंपराओं की सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित की जाएगी।
- **संरक्षण और पुनर्जीवित करना :** इस मिशन का उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, सुरक्षित, पुनर्जीवित और प्रसारित करना है। यह कार्य संस्कृति की धरोहर को आगामी पीढ़ियों तक पहुँचाने में सहायक होगा।
- **सांस्कृतिक जीवंतता का विकास करना :** डिजिटल प्लेटफॉर्म और लोकसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से पूरे देश में एक सुदृढ़ "सांस्कृतिक जीवंतता" का परिवेश विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और उसे राष्ट्रीय पहचान प्रदान करना है।

भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की योजना :

- यह योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका

उद्देश्य देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और संगठनों को समर्थन प्रदान करना है।

- इसमें कुल 8 घटक शामिल हैं, जिनका प्रत्येक का विशेष उद्देश्य और वित्तपोषण आवंटन है।
- इस योजना के तहत विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

योजना के प्रमुख घटक :

- **राष्ट्रीय उपस्थिति वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना :** इस घटक के तहत कला और संस्कृति के प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जो अखिल भारतीय दृष्टिकोण से पंजीकृत और उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय हैं, जिनके पास सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विगत 5 वर्षों में से किसी 3 वर्षों के दौरान 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक व्यय का ट्रैक रिकॉर्ड हो।
- **अधिकतम अनुदान : 1 करोड़ रुपए।**
- **कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट (CFPG) प्रदान करना :** इस घटक के अंतर्गत सेमिनार, सम्मेलन, अनुसंधान, कार्यशालाएँ, त्योहार, प्रदर्शनियाँ, और प्रस्तुतियों जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह अनुदान सांस्कृतिक आयोजनों की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है।
- **अधिकतम अनुदान :** 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक (विशिष्ट परिस्थितियों में)।
- **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए वित्तीय सहायता :** इस घटक का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को अनुसंधान, प्रशिक्षण, और प्रसार के माध्यम से संरक्षित और बढ़ावा देना है। यह वित्तीय सहायता ऐसे संगठनों को प्रदान की जाती है जो हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।
- **वित्तीय सहायता :** प्रति वर्ष 10 लाख से 30 लाख रुपए तक (विशिष्ट परिस्थितियों में)।
- **बौद्ध/तिब्बती संगठन के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना :** इस योजना के तहत बौद्ध और तिब्बती सांस्कृतिक परंपराओं के प्रचार-प्रसार और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान में लगे मठों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए होती है।
- **वित्त पोषण :** प्रति वर्ष 30 लाख रुपए तक, असाधारण मामलों में 1 करोड़ रुपए तक।
- **स्टूडियो थियेटर और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता करना :** इस घटक के तहत सांस्कृतिक बुनियादी ढाँचे जैसे स्टूडियो थियेटर, ऑडिटोरियम, और रिहर्सल हॉल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता सांस्कृतिक गतिविधियों के बेहतर आयोजन के लिए उपयोगी होती है।
- **अधिकतम अनुदान :** मेट्रो शहरों में 50 लाख रुपए तक और गैर-मेट्रो शहरों में 25 लाख रुपए तक।
- **संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता :** इस घटक का उद्देश्य त्योहारों और प्रमुख सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान ऑडियो-विजुअल चश्मे जैसे विशेष सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह सहायता सांस्कृतिक प्रदर्शनों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए होती है।
- **अधिकतम अनुदान :** ऑडियो के लिए 1 करोड़ रुपए और ऑडियो+वीडियो के लिए 1.50 करोड़ रुपए।
- **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए योजना :** इस योजना का उद्देश्य भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और विविध सांस्कृतिक परंपराओं को पुनरोद्धार और प्रचार के माध्यम से सुरक्षित रखना है। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2013 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है।
- **घरेलू उत्सव और मेले :** इस घटक का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव' जैसे घरेलू उत्सवों और मेलों के आयोजन में सहायता प्रदान करना है। यह सहायता सांस्कृतिक महोत्सवों की सफलता और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए होती है।

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

1. इसके तहत गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेज़ीकरण किया जाता है।
2. इसका उद्देश्य कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
3. यह मिशन ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है।
4. इस मिशन के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार मानचित्रण प्रक्रिया के लिए केरल के सभी गाँवों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं ?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) उपरोक्त सभी।

उत्तर – (C)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षित करने में मदद करेगा? उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। (शब्द सीमा – 150 अंक – 10)

आधुनिक भारतीय इतिहास में बाल गंगाधर तिलक के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 1 के अंतर्गत ' आधुनिक भारतीय इतिहास , महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व , भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तिलक की भूमिका तथा वर्तमान समय में उनके विचारों का महत्त्व ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' भारतीय होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, गरम दल , केसरी , मराठा ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' आधुनिक भारतीय इतिहास में बाल गंगाधर तिलक के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, 23 जुलाई 2024 को, भारत ने बाल गंगाधर तिलक की 168वीं जयंती मनाई। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद् के रूप में लोकमान्य की अद्वितीय विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक : व्यक्तित्व और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान :

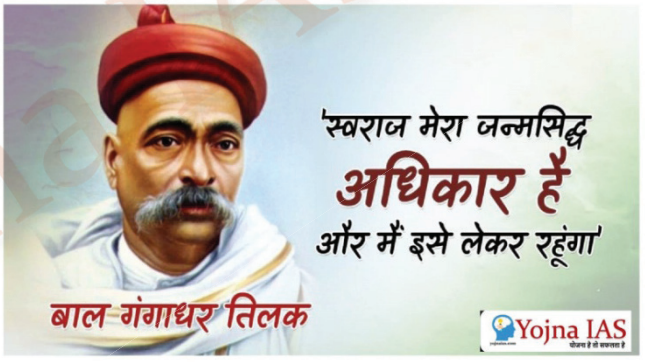

- लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था।
- पेशे से एक वकील होने के बावजूद, उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता के रूप में जाना जाता है। उनके विचारों और कार्यों ने उन्हें भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।
- लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान **" स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा "** जैसे क्रांतिकारी नारे दिए, जो भारतीयों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते थे।
- उनका निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ।
- बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रारंभिक और प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिनका योगदान न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की दिशा में था, बल्कि उन्होंने तत्कालीन भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

'लाल-बाल-पाल' की तिकड़ी और 'गरम दल' का गठन :

- लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने **' लाल-बाल-पाल '** की तिकड़ी का गठन किया।
- यह तिकड़ी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में **' गरम दल ' या ' उग्रपंथी दल '** के रूप में जानी गई। गरम दल ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कठोर संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया और भारतीय जनमानस को आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता की दिशा में प्रेरित किया।
- उनकी विचारधारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अधिक सशक्त और आक्रामक दृष्टिकोण की समर्थक थी, जो उस समय की कांग्रेस की नरमपंथी विचारधारा से अलग और भिन्न थी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश :

- सन 1890 में तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में शामिल होकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी।
- उनकी नेतृत्व क्षमता और विचारशीलता ने कांग्रेस की नीतियों को एक नई दिशा प्रदान की।
- उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों को अपनाने की अपील की।
- यह आंदोलन भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ था।

होम रूल लीग की स्थापना :

- अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में अखिल भारतीय होम रूल लीग (All India Home Rule League) की स्थापना की।
- यह लीग भारत के स्वशासन के लिए एक प्रमुख संस्था थी। इसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र (बॉम्बे को छोड़कर), मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार में था।
- होम रूल लीग के माध्यम से तिलक ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन को संगठित किया और भारतीयों को स्वशासन के महत्व और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

हिंदू-मुस्लिम एकता :

- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर लखनऊ पैक्ट (1916) पर हस्ताक्षर किए।
- यह पैक्ट दोनों समुदायों के बीच समझौते और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो आगे चलकर भारतीय राजनीति में एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देने में सहायक साबित हुआ था।

पत्रकारिता और साहित्य :

- तिलक ने मराठी भाषा में **'केसरी'** और अंग्रेजी भाषा में **'मराठा'** नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया।
- ये पत्र – पत्रिकाएँ स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को फैलाने और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम थीं।
- इसके अतिरिक्त, तिलक ने **' गीता रहस्य '** और **' द आर्कटिक होम इन द वेदाज '** जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन किया। 'गीता रहस्य' में उन्होंने भगवद गीता की गहराई से व्याख्या की और उसे भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीयता के संदर्भ में प्रस्तुत किया।

सामाजिक योगदान :

- लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे, जिसे 1884 में स्थापित किया गया था।

- इस सोसाइटी की स्थापना में गोपाल गणेश अगरकर और अन्य सहयोगी भी शामिल थे।
- इस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय समाज में शिक्षा का प्रसार करना और सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करना था।
- लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- उन्होंने इस त्योहार को एक सामूहिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में स्थापित किया, जिससे यह त्योहार केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में भी स्थापित हुआ।
- तिलक ने सम्राट छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शिव जयंती मनाने का प्रस्ताव पेश किया। इस पहल ने शिवाजी के ऐतिहासिक महत्व को पुनर्जीवित किया और उनकी विरासत को नई ऊर्जा दी।
- तिलक ने हिंदू धर्म के अनुयायियों को अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने और अपने धर्मग्रंथों का उपयोग करने पर जोर दिया।
- इस दृष्टिकोण ने धार्मिक आत्म-रक्षा की भावना को प्रोत्साहित किया और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

वर्तमान समय में तिलक के विचारों की प्रासंगिकता :

- **स्वदेशी उत्पादों और स्वदेशी आंदोलन :** तिलक ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय उद्योगों और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई अभियान चलाए। आज के भारत में, जहाँ 'आत्मनिर्भर भारत' की संकल्पना को प्रमुखता दी जा रही है, तिलक के विचारों की प्रासंगिकता अत्यधिक है। उनकी विचारधारा हमें प्रेरित कर सकती है कि हम अपनी स्वदेशी क्षमताओं को पहचानें और उनका पूर्ण उपयोग करें। इस प्रकार, आर्थिक राष्ट्रवाद के पुनरुद्धार में तिलक की दृष्टि को शामिल किया जा सकता है, जिससे भारत न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होगा बल्कि देशवासियों की आत्म-निर्भरता भी बढ़ेगा।
- **मातृभाषा का महत्व :** तिलक ने कांग्रेस की स्थानीय बैठकों में मातृभाषा के उपयोग की वकालत की थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मातृभाषा के माध्यम से आम लोगों तक सन्देश और विचार पहुँचाना अधिक प्रभावी होगा।
- हाल ही में भारत सरकार ने '**नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ' (2020)** के माध्यम से संस्कृत और स्थानीय और मातृ भाषाओं को अपनाने पर जोर दिया है। इस नीति के तहत, भारतीय भाषाओं को शिक्षा और प्रशासन में अधिक महत्व दिया जा रहा है। तिलक की यह दृष्टि कि मातृभाषा का प्रयोग लोगों के साथ सच्चा संवाद स्थापित करने के लिए आवश्यक है, आज भी प्रासंगिक है और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ' नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ' (2020) नीति के माध्यम से इसे साकार किया जा रहा है।
- **जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ दृष्टिकोण:** तिलक जातिवाद और अस्पृश्यता के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने समाज में जातियों और संप्रदायों के बीच विभाजन को समाप्त करने के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। उनके समय में समाज में जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई ने महत्वपूर्ण सामाजिक बदलावों की नींव रखी। आज भी भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानताएँ एक चुनौती बनी हुई हैं। तिलक के दृष्टिकोण की इस संदर्भ में प्रासंगिकता है कि हमें समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और समानता की दिशा में काम करना चाहिए। उनके विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि सामाजिक समरसता और एकता के लिए लगातार प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हैं।

निष्कर्ष :

- लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के भारतीय समाज और राजनीति में कई महत्वपूर्ण विचार विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन, मातृभाषा के महत्व और जातिवाद के खिलाफ उनके दृष्टिकोण आज भी हमारे समाज को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

- लोकमान्य बालगंगाधर तिलक का जीवन और कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनके दृढ़ समर्पण और राष्ट्रीयता की गहरी भावना को दर्शाता है। इस प्रकार, तिलक के विचार आज भी भारतीय समाज और राजनीति में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनकी दृष्टि हमें यह सिखाती है कि **स्वदेशी उत्पादों को अपनाना, मातृभाषा का सम्मान करना और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करना,** भारतीय समाज की प्रगति और एकता के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन विचारों को अपनाकर हम एक **समृद्ध और सशक्त भारत** की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

स्रोत – द इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें:

	अखबार	संबंधित व्यक्तित्व	क्षेत्र
1	केसरी	बालगंगाधर तिलक	महाराष्ट्र
2	कालांतर	लाला लाजपत राय	पंजाब
3	अमृत बाज़ार पत्रिका	शिशिर कुमार घोष	बंगाल
4	स्वराज	महात्मा गाँधी	गुजरात

उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से मेल खाती है?

(a) 1 और 2

(b) 2 और 3

(c) 3 और 4

(d) 1 और 3

उत्तर – (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. " भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा करना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के उल्लेख के बिना अधूरी है।" क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)